मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 1 मार्च, 2012 (फाल्गुन 11, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वश्री विश्वम्भर नाथ पाण्डेय, मगनलाल गोइल एवं श्रीमती विद्यावती मेहता, पूर्व सदस्यगण विधान सभा के निधन पर शोकोदगार व्यक्त किये गए। श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री पारस सकलेचा, परसराम मुदगल, गिरीश गौतम, यादवेन्द्र सिंह, सदस्यगण तथा श्री हरिशंकर खटीक, राज्यमंत्री, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण ने भी शोकोदगार व्यक्त किये।

सदन द्वारा 2 मिनिट मौन खड़े रहकर, दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर, शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की गई। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 10.47 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 10.55 बजे पुन: समवेत हुई।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 6 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 86 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 94 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267 क के अधीन विषय

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने मंदसौर के ग्राम कोचबी की विधवा महिला को कूप निर्माण राशि आवंटित न होने,
(2) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने नरियावली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कर्रापुर में पेयजल संकट होने,
(3) श्री विश्वास सारंग, सदस्य ने भोपाल शहर के नरेला क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 36 में नाले पर पुलिया न होने,
(4) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य ने छतरपुर जिले में डी.एड. की परीक्षा परिणामों में संशोधन न किये जाने,
(5) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने जुमनी नहर से ग्रामों को पानी न मिलने,
(6) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले की अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में गणवेश का लाभ न दिये जाने,
(7) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले के ग्राम खतोली में मध्याह्न भोजन में अनियमितता होने तथा
(8) श्री रामकिशोर कावरे, सदस्य ने परसवाड़ा क्षेत्र के ग्रामों में आंगनवाड़ी भवन की स्वीकृति देने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

4. अध्यक्षीय व्यवस्था

भोपाल के कमलानगर पुलिस थाने में हुई घटना के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग विषयक

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2012 को भोपाल के कमला नगर पुलिस थाने में हुई घटना के संबंध में दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस संबंध में नियमानुसार शासन से वांछित जानकारी प्राप्त कर सदस्यों को अवगत कराया जाएगा।

सदन में व्यवधान के बीच, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी तथा कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण स्थगन पर चर्चा की मांग के संदर्भ में गर्भगृह में आकर नारेबाजी करते रहे। कुछ समय पश्चात् अध्यक्ष महोदय की समझाइश एवं आश्वासन पर सदस्यगण वापस अपने आसनों पर गए।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2006-07 पटल पर रखा।

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 पटल पर रखा।

(3) श्री पारस जैन, राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने मध्यप्रदेश वेअर हाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन का अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक, वर्ष 2010-11 पटल पर रखा।

6. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की कार्यसूची में उल्लेखित 4 ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तद्नुसार –

(1) सर्वश्री रामनिवास रावत, परसराम मुदगल तथा सुरेश चौधरी, सदस्यगण ने श्योपुर जिले के ओछापुर थानान्तर्गत सन्तराम की खिरकारी पर दो लोगों की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य ने राजगढ़ जिले के धामन्याजोगी से व्हाया खिलचीपुर मार्ग की जर्जर स्थित होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) सर्वश्री सुदर्शन गुप्ता तथा तुलसीराम सिलावट, सदस्यगण ने इंदौर शहर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। श्री जयंत मलैया, पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री संजय पाठक, नर्मदा प्रसाद प्रजापति तथा सुनील जायसवाल, सदस्यगण ने कटनी एवं नरसिंहपुर जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का कार्य पूर्ण न होने की ओर राज्य मंत्री, ऊर्जा का ध्यान आकर्षित किया। श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्रीमती ललिता यादव, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । समिति ने शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च, 2012 को चर्चा के लिये आने वाले अशासकीय संकल्पों पर विचार कर चर्चा हेतु तथा निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तुतकर्ता सदस्य	निर्धारित समय
1.	(क्रमांक-13, 21)	सर्वश्री ध्रुवनारायण सिंह, विश्वास सारंग	1 घण्टा
2.	(क्रमांक-24)	चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी	45 मिनट
3.	(क्रमांक-47)	श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति	45 मिनट

श्रीमती ललिता यादव, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित, निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी (जिला-सागर)
(2) श्री आरिफ अकील (जिला-भोपाल शहर)
(3) श्री रामकिशोर कांवरे (जिला-बालाघाट)
(4) श्रीमती ललिता यादव (जिला-छतरपुर)
(5) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-शिवपुरी)
(6) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(7) श्री रामखेलावन पटेल (जिला-सतना)

9. वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2012 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक पर दिनांक 29 फरवरी, 2012 को प्रारम्भ हुई सामान्य चर्चा के क्रम में, निम्नलिखित सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

(14) श्रीमती नीता पटैरिया

(अपराह्न 1.00 से 2.36 बजे तक अन्तराल)

श्री राधेश्याम पाटीदार, सदस्य ने दिनांक 29 फरवरी 2012 को प्रारम्भ, अपना भाषण पूर्ण किया।

(15) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(16) श्री शैलेन्द्र जैन
(17) डॉ. निशिथ पटेल
(18) श्री ताराचंद बावरिया
(19) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(20) श्री अलकेश आर्य
(21) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(22) डॉ. बाबूलाल वर्मा
(23) श्री प्रियव्रत सिंह
(24) श्री सुदामा सिंह सिग्राम

अपराह्न 5.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च, 2012 (फाल्गुन 12, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 1 मार्च, 2012